CANCELLED
COURT FEE भारत INDIA TWO RUPEES

न्यायालय श्रीमान सदस्य राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प,सागर

R. 1925-III/14 (18)

शिवराम तनय बद्री प्रसाद ब्राह्मण,निवासी
ग्राम घटरा तहसील गौरिहार
जिला छतरपुर (म०प्र०) —— —— निगरानी कर्ता

B.O.R.
3 JUN 2014

बनाम

१- पवन कुमार सिंह तनय छुट्टन सिंह
२- अरुण कुमार सिंह तनय छुट्टन सिंह
३- प्रमोद कुमार सिंह तनय छुट्टन सिंह
४- राजासिंह तनय छुट्टन सिंह
५- श्रीमति भूरी पत्नि छुट्टन सिंह
सभी निवासी मेहराजपुर तहसील नरैनी जिलाबांदा (उ०प्र०)
हाल निवासी ग्राम घटरा तहसील गौरिहार
जिलाछतरपुर (म०प्र०) —— —— —— अनावेदकगण

कार्यालय कमिश्नर, सागर संभाग, सागर (म.प्र.)

86
17-6-14

निगरानी अन्तर्गत धारा ५० म०प्र०भू-राजस्व संहिता १९५९

निगरानी कर्ता।आवेदक न्यायालय श्रीमान अपर कलेक्टर महोदय,छतरपुर के रा०प्र०क्रमांक २२-निग०।अपील।वर्ष २००९-१० में पारित आदेश दिनांक ३०।४।२०१४ से परिवेदित होकर नीचे लिखे आधारों एवं तथ्यों पर निगरानी याचिका प्रस्तुत करता है-

आज दिनांक 17/6/14 को ...

१- यहकि, संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार हैकि ग्राम घटरा की भूमि सर्वे नं० १६२२।२ रकवा १४-५६ एकड़ का मूल भूमिस्वामी राजस्व रिकार्ड में संवत् २०३३ तक ग्याप्रसाद सींग वल्द कलसींग दर्ज था,उसकी मृत्यु के पश्चात् इस भूमि पर उसकी पत्नि राजा बहू का नामान्तरण भूमिस्वामी स्वत्व पर स्वीकृत हुआ । श्रीमति राजा बहू ने अन्य भूमियों के साथ साथ उक्त भूमि मे से ४-६२९ हे० का भाग १।२ पंजीकृत विक्रय पत्र क्रमांक ७२७ दिनांक ७।८।१९८४ द्वारा श्री पवन कुमार सिंह व अन्य को विक्रय की है,तथा

23-6-14

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1925—तीन / 14 जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13.1.2015	आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया तथा अधीनस्थ अपर कलेक्टर न्यायालय जिला छतरपुर के राजस्व प्रकरण कमांक 22 / निगरानी / अपील / वर्ष 2009—2010 में पारित आदेश 30—4—2014 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया, जिससे दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई है । 2— अपर कलेक्टर के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि दोनों पक्षों को गुणदोषों पर अपनी बात कहने का अवसर उपलब्ध है । अतः दूसरी निगरानी ग्राह्य करने का पर्याप्त आधार आवेदक द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है । प्रथमदृष्टया यह निगरानी आधारहीन होने से इसी स्तर पर अग्राह्य की जाती है । प्रशासकीय सदस्य	